हुक्म या कार्यवाही मय शीर्षक ... प्रकरण संख्या ... बनाम ... | आगामी मे जारी हुए

1/1/2021 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महो. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली माबिक आदेश में दिनांक ... को पेश हो।

5/4/2021 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महो. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली माबिक आदेश में दिनांक 18/5/2021 को पेश हो।

18/5/21 मिसल पेश। कोविड-19 महामारी होने से अधिवक्ता ... एवं शासकीय अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था में व्यस्त। ... हेतु दिनांक 20/07/21 को पेश हो।

20/7/2021 मिसल पेश। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मूलवाद में साक्षियान पेश करने एवं मूलवाद निर्णित हो जाने से अब उभयपक्ष प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है अर्थात् पत्र अन्तर्गत धारा 112 R.T.A. का सभी तरह से निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली अभिलेख से कम हो एवं मूलवाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner